जनसत्ता ब्यूरो, नई दलि्ली□ सूचना केअधकिार अधनियिम केतहत सूचना उपलब्ध कराने से राजनीतकि दलों को छूट देने को लेकर सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं कयिा है□ उधर, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) की ओर से दी गई छह हफ्ते की समय सीमा सोमवार को खत्म हो रही है□ सूचना के अधकिार (आरटीआइ) अधनियिम केकार्यान्वयन से जु□ कार्मकि और प्रशक्षिण वभिाग केअधकिारयिों का कहना है कि पारदर्शति कानून केदायरे से राजनीतकि दलों को बाहर रखने केलएि सरकार अध्यादेश लाने की बहुत इच्छुक नहीं है□

वभिाग का प्रभार प्रधानमंत्री मनमोहन सहि केपास है□ सूत्रों केमुताबकि कार्मकि मंत्रालय अध्यादेश लाने से पहले सविलि सोसायटी सहति अन्य पक्षों से सलाह मशवरिा कर सकता है□ हालांकि आरटीआइ अधनियिम में संशोधन का मार्ग प्रशस्त करने केलएि कानून मंत्रालय □क अध्यादेश को मंजूरी दे चुका है□ यदि अध्यादेश में संशोधनों बाकी पेज 8 पर उड्मल्ल३्र४ी ३ड्म स्र्ौ ८

को सभी पक्ष स्वीकार कर लेते हैं तो इसे संसद केमानसून सत्र में लाया जा सकता है□ मानसून सत्र अगस्त केमध्य से शुरू होने की संभावना है□

केंद्रीय सूचना आयोग ने तीन जून केअपने आदेश में व्यवस्था दी थी कि छह राष्ट्रीय दल कांग्रेस, भाजपा, राकांपा, माकपा, भाकपा और बसपा को अप्रत्यक्ष तौर पर काफी हद तक केंद्र सरकार से मदद मलिती रही है□ इसीलएि वे आरटीआइ अधनियिम केतहत सार्वजनकि अभकिरण की प्रकृति केहैं, क्योंकि उनका कामकाज सार्वजनकि शैली का है□ आयोग की ओर से इन राजनीतकि दलों को मनोनीत सूचना अधकिारयिों और अपील अधकिारयिों की नयिुक्ति केलएि दी गई छह हफ्ते की समय सीमा 15 जुलाई को खत्म हो रही है□ राजनीतकि दलों को बचाने केलएि कार्मकि वभिाग सार्वजनकि अभकिरण की परभिाषा बदलने केलएि आरटीआइ अधनियिम केअनुच्छेद 2 में संशोधन का प्रस्ताव ला सकता है□

सूत्रों केमुताबकि सरकार □क अन्य वकिल्प पर भी वचिार कर सकती है□ मसलन, राजनीतकि दलों को छूट प्राप्त संगठनों (अधनियिम केअनुच्छेद 8 में उल्लेख केअनुसार) की सूची में शामलि कर लयिा जा□□ इसमें केंद्रीय सुरक्षा □जंसयिां-रॉ, गुप्तचर ब्यूरो, सीबीआइ जैसी □जंसयिां शामलि हैं□ हालांकि कार्मकि वभिाग दूसरे वकिल्प को अपनाने केलएि कम तैयार हैं, क्योंकि इससे जनता केवरिोध का सामना करना प□ सकता है□